रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 414] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2006/वैशाख 6, 1928
No. 414] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2006/VAISAKHA 6, 1928

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2006

का.आ. 615(अ).—जबकि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21-1-2004 की अपनी अधिसूचना संख्या का. आ. 108 (अ) के तहत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बिलाल नाजकी को मैसर्स सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड की कोयला खदानों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के करीम नगर जिले के रामागुंडम क्षेत्र की गोदावरीखानी संख्या 8 क खान में 17 अक्तूबर, 2003 को हुई दुर्घटना जिसमें कई श्रमिकों की जान गयी थी, के कारणों और परिस्थितियों की जांच-पड़ताल करने के साथ-साथ दुर्घटना होने के कारणों की जिम्मेदारी तय करने और तीन माह की अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। जांच-पड़ताल की अवधि को पिछली बार 20 अप्रैल, 2006 के लिए बढ़ाया गया था।

और जबकि, जांच-पड़ताल करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अवधि बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केन्द्र सरकार इस अवधि को 21 अप्रैल, 2006 से 20 अक्तूबर, 2006 तक 6 माह तक की और अवधि अथवा जांच न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के दिन/तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाती है। तदनुसार, जांच पड़ताल करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री बिलाल नाजकी की नियुक्ति की अवधि और श्री ए. के. रुद्रा, पूर्व महानिदेशक, खान सुरक्षा तथा श्री कमलेश सहाय, सदस्य सुरक्षा बोर्ड (बी. एम. एस.) की असेसरों के रूप में नियुक्ति की अवधि भी 20 अक्तूबर, 2006 तक 6 महीने की और अवधि अथवा जांच न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के दिन/तारीख, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ाई जाती है।

[फा. सं. एन. 11012/7/2003-आई एस एच-II]

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2006

S.O. 615(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Labour and Employment in their notification No. S. O. 108 (E) dated 21-1-2004 appointed Justice Bilal Nazki, Judge, High Court of Andhra Pradesh to hold a formal inquiry into the causes and circumstances attending the accident and to fix responsibility for the causes leading to the accident that occurred on 17th October, 2003 in the collieries of M/s Singareni Collieries Company Limited, more particularly in the Godavarikhani No. 8A Mine of Ramagundam Region in District Karimnagar of Andhra Pradesh State causing loss of lives and present a report within a period of six months. The duration of the enquiry was last extended up to 20-04-2006.

And whereas it has become necessary to extend the period within which the inquiry is to be conducted and report presented.

Now, therefore, the Central Government do hereby extend this duration for a further period of six months from 21st April, 2006 to 20th October, 2006 or till the day/date on which the report of the Inquiry is submitted, whichever is earlier. Accordingly the period of appointment of Justice Bilal Nazki to conduct the inquiry and present the report and the period of appointment of Shri A. K. Rudra, Ex-Director General of Mines Safety and Shri Kamlesh Sahay, Member, Safety Board (BMS), as assessors is also extended for a further period of six months i.e. upto 20th October, 2006 or till the day/date on which the report of the Court of Inquiry is submitted, whichever is earlier.

[F. No. N-11012/7/2003-ISH-II]

J. P. PATI, Jt. Secy.

1262/GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.1262 GI/2006